FORM No. 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, किशनगढ़, जिला अजमेर

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 1251/2015
सी.आई.एस संख्या 759/2024
राज्य बनाम प्रकाशचंद जैन

Date	Orders with initials of P.O.	Brief note of Compliance of Order
30.08.2025	अभियोजन अधिकारी मय परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त प्रकाशचंद जैन प्रोडक्शन वारंट से उपस्थित। अभियुक्त के प्रोडक्शन वारंट की अवधि आगामी पेशी वास्ते बढाई गई। अभियुक्त अधिवक्ता श्री शिव कुमार त्यागी उपस्थित। अभियुक्त की ओर से धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब के लिए अवसर चाहा। पत्रावली टारगेटेड होने से अभियुक्त को अन्य अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से उन्हें आगामी पेशी तक का अवसर दिए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अभियुक्त द्वारा सीधे प्रार्थना पर बहस करना जाहिर किया गया। बहस सुनी गई। दौराने बहस अभियुक्त अधिवक्ता का निवेदन रहा कि पत्रावली आदेश में नियत की जावे एवं आदेश से पूर्व में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जावे। चूंकि वे विस्तृत रूप से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके हैं एवं अभियोजन द्वारा न्यायिक दृष्टांत बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए हैं। इस हिदायत के साथ पत्रावली आदेश में नियत की जाती है कि अभियुक्त आगामी पेशी से कम से कम चार योम पूर्व तक अभियोजन अधिकारी को न्यायिक दृष्टांतों को नोटेड कराते हुए न्यायिक दृष्टांत न्यायालय में प्रस्तुत करे। अभियोजन की ओर से गवाह हरिराम कुमावत आज भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः उक्त गवाह के जमानती वारंट 500 रुपये आगामी पेशी वास्ते जारी हों। पत्रावली वास्ते आदेश व साक्ष्य अभियोजन दिनांक 10.09.2025 को पेश हो। **(जितेंद्र रैया)** **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 01,** **किशनगढ़, जिला अजमेर**	